

थाना कविनगर पुलिस द्वारा ATM काटकर चोरी व मोटर साईकिल चोरी करने वाले 03 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार कब्जे से एक चोरी की मोटर साईकिल, ATM काटने के उपकरण व एक चोरी का मोबाइल फोन, एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस व दो चाकू नाजायज बरामद

कार्यवाही - दिनांक 12/13.02.2021 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा आर 1/189 स्थित यूनियन बैंक आफ इन्डिया के एटीएम का शटर तोडकर अन्दर घुसकर ए.टी.एम काटने का प्रयास किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 198/2021 धारा 457/511/427 भादवि पंजीकृत किया गया । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा ATM चोर व वाहन चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 19.02.21 को समय 01.30 बजे पर चैकिंग के दौरान सनातन धर्म मंदिर के पास आऱडीसी से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण (1) नरेश पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम जलालपुर थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर हाल ग्राम मिशलगढी जोगेन्द्र का मकान थाना मसूरी गाजियाबाद (2) वसीम पुत्र रहीसुद्दीन निवासी निवासी 2548 रफीकनगर बुलन्दशहर रोड कर-बा व हापुड कोतवाली जिला हापुड हाल सलीम फौजी का मकान मसूरी जिला गाजियाबाद व (3) रंजीत पुत्र शिव कुमार निवासी पृथ्वीपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर हाल पता सुरेश ग्राम शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1749/2020 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी की मोटर साईकिल अपाचे नं0 UP14DH 2814 व म्0अ0सं0 1087/2019 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी का मोबाइल फोन व ATM काटने के उपकरण गैस सिलेन्डर, आक्सीजन सिलेन्डर, गैस कटर, रेगुलेटर, आला नकब सरिया, रिंच, प्लास, हथेडी, पेचकस, दो चाबी, मोमबत्ती आदि तथा अभियुक्त नरेश उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त वसीम व रंजीत उपरोक्त के कब्जे से एक-एक चाकू नाजायज बरामद हुए जिनके सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर क्रमशः मु०अ०सं० २३७/२१ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट, मु०अ०सं० २३८/२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० २४०/२१ धारा ४/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण शातिर किरम के बदमाश है जो स्विगी व जमेटो मे खाना डिलीवर करने का कार्य करते थे तथा अपने मंहगे शौक पूरे करने के लिए अभियुक्त गण द्वारा यूट्यूब व अन्य सोशल साईट्स पर उपलब्ध वीडिया के माध्यम से ATM मशीन की कार्य प्रणाली कि पैसे कैसे जमा होते है तथा केश कहां रखा जाता है, ATM मशीन को किस उपकरण से काटा जा सकता है तथा शटर को कैसे खोला जा सकता है। यूट्यूब व अन्य सोशल साईट्स पर उपलब्ध वीडिया को देखकर अपराध कारित करते है तथा मौका पाकर मोटर साईकिल व मोबाइल फोन चोरी करने जैसे अपराध कारित करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

- (1) नरेश पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम जलालपुर थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर हाल ग्राम मिशलगढी जोगेन्द्र का मकान थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष शिक्षा इण्टर पास
- (2) वसीम पुत्र रहीसुद्दीन निवासी निवासी 2548 रफीकनगर बुलन्दशहर रोड कस्बा व हापुड कोतवाली जिला हापुड हाल सलीम फौजी का मकान मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष शिक्षा 9 वीं पास
- (3) रंजीत पुत्र शिव कुमार निवासी पृथ्वीपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर हाल पता सुरेश ग्राम शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष शिक्षा इण्टर पास

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एक तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज
- 2-दो चाकू नाजायज
- 3-मोटर साईकिल अपाचे नं0 UP14DH 2814 थाना कविनगर से चोरी सम्बन्धित अ0सं0 1749/2020
- 4-एक मोबाइल फोन MI गोल्ड थाना कविनगर से चोरी सम्बन्धित अ0सं0 1087/2019
- 5- ATM काटने के उपकरण गैस सिलेन्डर, आक्सीजन सिलेन्डर, गैस कटर, रेगुलेटर, आला नकब सरिया, रिंच, प्लास, हथैडी, पेचकस, दो चाबी, मोमबत्ती आदि

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नरेश-

- 1- मु आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद । 25/3 धारा 2021/237 0अ0स0
- **2-** मु2/1749 030सं0**02** थाना कविनगर गाजियाबाद । 411/379 धारा 0
- 3- मु/1087 0:30सं020भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद । 411/379 धारा 19
- 4- मु भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद । ३४/४२७/५५७ धारा २०२१/१९८ ०अ०सं०

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम-

- 1- मु आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद । 25/4 धारा 2021/238 030सं0
- 2- मु/1749 030सं020 थाना कविनगर गाजियाबाद । 411/379 धारा 20
- **3-** मृ/1087 0310सं0**20**भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद । 411/379 धारा 19
- 4- मु भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद । 34/427/511/382/457 धारा 2021/198 0अ0सं0

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रंजीत-

- 1- मुआर्म्स एक्ट थाना कव २५/४ धारा २०२१/२३९ ०अ०सं०िनगर गाजियाबाद ।
- **2-** मु/1749 0ःअ0सं0**20** थाना कविनगर गाजियाबाद । 411/379 धारा 20
- **3-** मु भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद । 34/427/511/382/457 धारा 2021/198 0अ0सं0



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 40 पव्वे नाजायज अंग्रेजी शराब नाजायज हरियाणा मार्का के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 18.02.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त ज्ञान सिंह को 45 पव्वे मसालेदार देशी शराब नाजायज हरियाणा मार्का के साथ पुरानी चौकी विजयनगर बाईपास के पास, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- रोहित यादव पुत्र राजू यादव निग्राम .बाद मूल नि.न्यू कोट गांव थाना कोतवाली जनपद गा 248 म0नं0 . बिछवाही थाना चिल्ला जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 174/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. 40 पव्वे नाजायज अंग्रेजी शराब नाजायज हरियाणा मार्का



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 1 किलो 70 ग्राम गांजा एक शातिर गांजा तस्कर की गिरफ्तारी

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 18.02.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त राजू को 1 किलो 70 ग्राम के साथ शनि मन्दिर सर्विस रोड, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*

1- राजू पुत्र हेतराम निवासी ग्राम जैतरा थाना जैतरा थाने के पास जिला एटा हाल पता अम्बेडकर नगर किराये पर थाना विजयनगर गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण*

1- मु.अ.स. 172/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम राजू बरामदगी का विवरण*

1- ग्राम गांजा नाजायज 70 किलो 1



<u>थाना विजयनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में विगत डेढ वर्ष से फरार चले रहे वांछित को किया गया</u> <mark>गिरफ्तार</mark>

कार्यवाही- श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा थाना विजय नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 0243/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में डेढ़ वर्ष से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त छन्नू उर्फ सनी को दिनांक 18.02.2021 को पुराना बाईपास विजयनगर तिराहा, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- छन्नु उर्फ सनी, नि. शिव नगर रेस्टी थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद हाल पता अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद ।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण

- 1- मु.अ.सं. 243/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना विजय नगर, गाजियाबाद
- 2- मु.अ.सं. 656/18 धारा 266,386,407,411,413,420,34 भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा नषीली गोलियों के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 90 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध बरामद।

कार्यवाही:— जनपद गाजियाबाद व आस—पास के जनपदों के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देषन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुषल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 18.02. 2021 को समय करीव 23.55 बजे चैकिंग के दौरान 150 फुटा रोड सुलभ शौचालय के पास से दो अभियुक्त 1. जिशान पुत्र जलालुद्दीन नि॰ गरिमा गार्डन मास्टर कालोनी ए-16 थाना टीला मोड गा॰बाद 2शराफत पुत्र नियाकत नि॰ अली प्रेम गार्डन हाजीदीन के मकान में किरायेदार थाना टीला मोड गा॰बाद थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को 90 ग्राम अवैध अल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण ने पूछतांछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु व अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु अवैध नषीली पाउडर को सस्ते दामों में खरीदकर नषे के आदी लोगों को महगे दामों में साहिबाबाद व आसपस के क्षेत्र में बिक्रि करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1. 1.जिशान पुत्र जलाल्द्दीन नि₀ गरिमा गार्डन मास्टर कालोनी ए-16 थाना टीला मोड गाजियाबाद ।
- 2. शराफत पुत्र नियाकत नि॰ अली प्रेम गार्डन हाजीदीन के मकान मे किरायेदार थाना टीला मोड गाजियाबाद । पंजीकृत अभियोगो का विवरण:—
 - 1-मु0अ0सं0 २६८/२०२१ धारा ८/२१ एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम जिशान
- **2**-मु0अ0सं0 269/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम शराफत **बरामदगी का विवरण**:—
 - 1. 90 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध्ज्ञं



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा लूट की घटना का खुलासा, 03 शातिर लुटेरे मय लूटे गये मोबाइल सहित गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र में दि0 18.02.21 को हुई आटो चालक व दो अन्य व्यक्ति द्वारा आटो में बैठी सवारी से मोबाइल फोन OPPO कम्पनी का छीनकर आटो से बाहर फेंकने की घटना का थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 18.02.21 को समय रात्रि करीब 11.00 बजे लोनी डिपो पर चैकिंग के

दौरान गोल चक्कर दिल्ली की तरफ से आते तीन व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान आटो वाली घटना में लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बार्डर पर वादी श्री अमन श्रीवास्तव पुत्र जगदीश नि0 गली न0 8, गुर्जर चौक मेन रोड नई दिल्ली द्वारा मु0अ0सं0 105/21 धारा 392 भादिव पंजीकृत कराया गया था। पकड़े गये तीन नफर अभियुक्तगण 1. सुशील उर्फ गज्जी पुत्र अनिल वर्मा नि0 म0न0 सी 92 माता गली, गली न0 17 जौहरीपुर थाना करावल नगर दिल्ली 2. परवीन कुमार पुत्र कमल किशोर नि0 एकता गली जौहरीपुर थाना लोनी बार्डर गा0बाद 3.मनीष उर्फ बनवारी पुत्र बनवारी नि0 गौतम मार्ग गली, म0न0 ए 32 जौहरीपुर थाना करावल नगर दिल्ली को जेल भेजा गया। अभि0 मनीष उर्फ बनवारी पूर्व में चोरी में तीन बार जेल जा चुका है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्तगण आटो चालक है, जिनका एक गैंग है जो अकेली सवारी को देखकर आटो में बैठाते है तथा अनजान जगह पर ले जाकर उसके साथ लूट की घटना कारित करते है तथा अभियुक्त मनीष उर्फ बनवारी पूर्व में भी कई चोरी की घटना कारित कर चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- 1. सुशील उर्फ गज्जी पुत्र अनिल वर्मा नि0 म0न0 सी 92 माता गली, गली न0 17 जौहरीपुर थाना करावल नगर दिल्ली।
- 2. परवीन कुमार पुत्र कमल किशोर नि0 एकता गली जौहरीपुर थाना लोनी बार्डर गा0बाद।
- 3.मनीष उर्फ बनवारी पुत्र बनवारी नि0 गौतम मार्ग गली, म0न0 ए 32 जौहरीपुर थाना करावल नगर दिल्ली।

अभियुक्त सुशील उर्फ गज्जी का आपराधिक इतिहासः-

म्0अ0सं0 105/21 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

अभियुक्त परवीन कुमार का आपराधिक इतिहासः-

म्0अ0सं0 105/21 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

अभियुक्त मनीष उर्फ बनवारी का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 1054/17 धारा 34/411/414 भादवि थाना लोनी गा0बाद । मु0अ0स0 942/17 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद । मु0अ0स0 1027/17 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।

बरामदगी का विवरण-

1- अदद मोबाइल फोन 010PPO A71 कम्पनी



<u>थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक वाछित/ गौतस्कर अभियुक्त मय एक अदद नाजायज छुरी</u> <mark>के साथ गिरफ्तार।</mark>

कार्यवाही - श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधो की रोकथाम व तलाश वाछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 19.02.21 को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक पाल सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर श्री रविन्द्र बालियान द्वारा मय हमराही के में गस्त व तलाश वाछित अपराधी के दौरान मुकदमें में वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र कलुवा उर्फ इस्माइल निवासी पुरानी पैठ डासना थाना मसूरी गाजियाबाद को CHC डासना के पास खेत से समय करीब 11.40 बजे एक अदद नाजायज छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने साथियों के साथ मिलकर घूमन्तु पशुओ की रैकी कर रात में गौकशी की घटना को अंजाम देते है और उसके माँस को अलग अलग जगह ले जाकर बेच देते है अभि0 व उसके साथियों ने दिनाकं 11/12.02.2021 की रात्रि में में भी उधोग कुन्ज थाना मसूरी अवंतिका,गोविन्दपुरम थाना कविनगर गा0बाद में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी में मु0अ0सं0 64/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर 04 मुकदमें व थाना कविनगर पर 02 मुकदमें पंजीकृत है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) दानिश पुत्र कलवा उर्फ इस्माइल निवासी पुरानी पैठ डासना थाना मसूरी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

(1) एक अदद नाजायज छुरी।

पंजीकृत अभियोग-

- 1. मु2021/64 0अ0स0 धारा . थाना मसूरी गाजियाबाद गौवध अधि0 8/5/3
- 2. मुए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद 25/4 धारा 21/75 0अ0सं0

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश -

- 1 मु0अ0स0-319/20 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मसूरी
- 2- मु0अ0स0-508/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी
- 3-मु0अ0स0-64/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद .
- 4-मु0अ0सं0-75 धारा ४/२५ ए एक्ट थाना मसूरी गा०बाद
- 5-मु0अ0स0-192/21 धारा 3/5/8 गौ वध अधि0 थाना कविनगर गा0बाद
- 6-.मु0अ0स0-194/21 धारा ३/५/८ गौ वध अधि0 थाना कविनगर गा0बाद



<u>थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया</u>

कार्यवाही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियो - के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा वाछित अभियुक्त को 01 गिरफ्तार किया गया।

दिनाँक बजे गस्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर की 10.40 को दिन में समय करीब 2021/02/19 भादिव में वाछिंत अभियुक्त समीम 411/379 धारा 20/221 सूचना पर पसोन्डा पुलिया के पास से मु0अ0स0 पुत्र मोहब्बत अली निवासी निकट कादरी मस्जिद मोहल्ला काजीस्तान चामुण्डा रोड थाना हसनपुर जिला अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

समीम पुत्र मोहब्बत अली निवासी निकट कादरी मस्जिद मोहल्ला काजीस्तान चामुण्डा रोड थाना हसनपुर जिला अमरोहा

आपराधिक इतिहास अभि0-

.1मु भादवि 411/379 धारा 20/221 0अ0स0 अभि 0गण के अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक चाकू के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 18.02.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त सोनू को एक अदद नाजायज चाकू के साथ शनि मन्दिर सर्विस रोड, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- सोनू पुत्र इरफान निवासी गली नं0 1 (ATM) वाली गली डूडा हैडा थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद *पंजीकृत अभियोग का विवरण*
- 1-मु0.अ.स.173/21 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम सोनू

बरामदगी का विवरण*

1- एक अदद चाकू नाजायज





प्रेस नोट

दिनांक 19-02-2021 थाना ट्रोनिकासिटी जनपद गाजियावाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा कापी राईट एक्ट में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार तथा कब्जे में विभिन्न ब्रान्ड की करीब 3 से 4 करोड की कीमत की करीब 50 हजार कम्पटीशन की बुक वरामद एवं फैक्टरी सील

श्री कलानिध नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियावाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूध्द चलाये गयें अभियान के क्रम में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 19-2--21 को मिली सूचना पर ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री स्थित A TO Z प्रिन्टिंग प्रेस जिसे अभियुक्त गुल मौहम्मद द्वारा कुरान शरीफ की बुक प्रिन्ट करने हेतू फिरोज फैक्ट्री ओनर से अनुबन्ध पर लिया गया था जिसमें अभियुक्त द्वारा कुरान की प्रिन्टिंग के साथ साथ कम्पीटीशन की विभिन्न ब्रान्ड की नकली पुस्तके बिना किसी वैध लाईसेन्स के छापी जा रही है। इस सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दिवश देकर मौके से विभिन्न ब्राप्ड जिसमें ओरिएन्ट ब्लैक स्वान, स्पैक्ट्रम बुक्स ,क्रोनिकल बुक्स,मैकग्राहिल,केडी पब्लिकेशन,यूबीएसपीडी आदि पब्लिकेशन की करीब 50 हजार के लगभग पुस्तके उपरोक्त ब्रान्ड की जिनकी मार्किट वैल्यू करीब 3-4 करोड रूपयें आंकी जा रही है। मौके से बरामद की गयी है। उक्त प्रिन्टिंग प्रेस आधी बनी व तैयार पुस्तकों को कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील किया गया। व अभियुक्त गुल मौहम्मद उपरोक्त के विरूद्ध धारा-420 भादिव व धारा 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर मौके से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। तथा नामित अभियुक्त द्वारा एक अन्य साथी वसी उजमा का भी अपने इस कार्य में होना बताया गया है। पूछतांछ का विवरण- अभि0 ने पूछतांछ से बताया कि मैं विभिन्न जाने माने पब्लिकेशन ब्रान्ड ओरिएन्ट ब्लैक स्वान, स्पैक्ट्रम बुक्स ,क्रोनिकल बुक्स , मैकग्राहिल,केडी पब्लिकेशन,यूबीएसपीडी की नकली पुस्तके छापकर जिनकी कीमत 500-800 रूपये तक होती है को 100 से 200 रूपये के कम रेट में व ऑनलाईन पोर्टलों के माध्यम से भी बेच कर धन अर्जित करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त /आपराधिक इतिहास-

- 1. गुल मौहम्मद पुत्र आरिफ मलिक निवासी- A-Z प्रिन्टिंग प्रैस सैक्टर ए -7 प्लाट डी 15 ट्रोनिका सिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद
 - म्0अ0स0-90/21 धारा-420 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण का विवरण-

- 1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार
- 2. है0का0 713 दीनदयाल

3. का० १०९६ अरविन्द

बरामदगी का विवरण - विभिन्न ब्रान्ड ओरिएन्ट ब्लैक स्वान, स्पैक्ट्रम बुक्स, क्रोनिकल बुक्स, मैकग्राहिल,केडी पब्लिकेशन,यूबीएसपीडी की करीब 50 हजार कम्पीटीशन की पुस्तके कीमत करीब 3-4 करोड़ व प्रिन्टिंग प्रेस की मशीनें, बाईन्डिंग मशीने व होलोग्राम कवर आदि

